न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0–237 / 2017

वीवी महजवी शाहिन, पति–फारूक उर्फ फराहुद्दीन निवासी मौजा–मदनपुर (औरंगाबाद)

बनाम

यशोदानन्द यादव, पिता–लालदेव यादव, मदनपुर, (औरंगाबाद)

आदेश

22/7/18

यह दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–42 / 2016 के दिनांक–03.02.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें खाता सं0–149, प्लौट सं0–90, रकवा–62½ डी0 भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतिजा खातुन से निबंधित वसीयतनामा सं0–160 दिनांक–15.12.2010 से प्राप्त है और वे प्रश्नगत भूमि पर दाखिल काबिज है। खतिजा खातुन के मृत्यु हो जाने के बाद पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा जिला जज के न्यायालय में वसीयतनामा से प्राप्त प्रश्नगत भूमि को प्रोवेट कराने के लिए वाद सं0–15 / 2013 दायर किया गया, जो अभी लम्बित है, परन्तु इसी बीच खतिजा खातुन के लड़कों द्वारा प्रश्नगत भूमि को विपक्षी के नाम निबंधित केवाला से विक्री कर दिया गया, जिसके आधार पर अंचल सिरिस्ते में दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी, जिसे विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा भी बहाल कर दिया, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के दायर पुनरीक्षण वाद को स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मुस्लिम विधि में वसीयतनामा को प्रोवेट कराना आवश्यक नहीं है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतिजा खातुन के मृत्यु के उपरान्त उनके लड़को द्वारा विपक्षी के पक्ष में निबंधित केवाला से प्राप्त है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, मदनपुर द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा भी बहाल कर दिया गया, जो सही है। उनका यह भी कहना है कि बिना प्रोवेट के वसीयतनामा का कोई कानुनी महत्व नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि खतिजा खातुन से निबंधित वसीयतनामा सं0–160 दिनांक–15.12.2010 से प्राप्त है, जिसके आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में है। वीवी खतिजा खातुन की मृत्यु के उपरान्त पुरीक्षणकर्त्ता द्वारा वसीयतनामा से प्राप्त भूमि को प्रोवेट कराने के लिए माननीय जिला जज के न्यायालय में वाद सं0–15 / 2013 दायर किया गया है, जो अभी

लम्बित है। इसी बीच वसीयतकर्त्ता (खतिजा खातुन) के पुत्रों के द्वारा प्रश्नगत भूमि को विपक्षी के पक्ष में विक्री कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है, जब प्रश्नगत भूमि को पूर्व में ही पुनरीक्षणकर्त्ता के पक्ष में खतिजा खातुन द्वारा वसीयतनामा कर दिया गया है तो प्रश्नगत भूमि को पुनः उनके लड़को द्वारा विक्री करना न्यायोचित नहीं है। अंचल अधिकारी, मदनपुर द्वारा भी बगैर कागजात के परिसिलन किये हुए विपक्षी के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दिया गया है, जो दाखिल खारिज नियमों के विपरित है, जिसे विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा भी अंचल अधिकारी, मदनपुर द्वारा दिये गये विपक्षी के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति को बहाल कर दिया गया, जो विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है।

विपक्षी को सिर्फ यही दावा है कि बगैर प्रोवेट के वसीयतनामा का कोई महत्व नहीं है, जबकि मुस्लिम विधि में वसीयतानामा से प्राप्त भूमि को प्रोवेट कराना आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/अंचल अधिकारी, मदनपुर द्वारा पारित आदेश दाखिल खारिज नियमों के विपरित है, जिसे निरस्त करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ।

अतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–42/2016 में दिनांक–03.02.2017 एवं अंचल अधिकारी, मदनपुर के दाखिल खारिज वाद सं0–676/2015–16 में दिनांक–12.12.2015 को पारित आदेश दाखिल खारिज नियमानुसार एवं न्यायसंगत नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा दायर दाखिल खारिज पुन0 वाद स्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आदेश की सूचना निम्न न्यायालय को दें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।